14.55 hrs.

SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the inclusion in, and the exclusion from the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, of certain castes and tribes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the inclusion in, and the exclusion from, the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of certain castes and tribes."

The motion was adopted.

SHRI DHANIK LAL MANDAL : I introduce the Bill.

14.56 hrs.

MENTAL HEALTH BILL

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के उपचार और उनकी देखरेख से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिये, उनकी सम्पत्ति और कार्यकलापों की बा बेहतर उपबन्ध करने के लिए और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

> "That leave be granted to introduce a Bill to consolidate and amend the law relating to the treatment and care of mentally ill persons, to make better provision with respect to their property and affairs and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैं विधेयक पुरः-स्थापित करता हूं।

14.57 hrs.

METRO RAILWAYS (CONSTRUCTION OF WORKS) BILL

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the construction of works relating to metro railways in the metropolitan cities and for matters connected therewith.

MR DEPUTY-SPEAKER : The question is :

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the construction of works relating to metro railways in the metropolitan cities and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

PROF. MADHU DANDAVATE: I introduce the Bill.

14.58 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) REPORTED CLOSURE OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN BIHAR

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत मैं आप की सेवा में यह वक्तव्य रख रहा हूं :

यह दुःख एवं दुर्भाग्य का विषय है कि कई महीनों से बिहार में सरस्वती मन्दिर, विशेषकर विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय बन्द पड़े हैं। यह केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, वरन, अभिभावकों के हित में भी शुभ नहीं है। सदन को ज्ञात ही है कि बिहार में शिक्षण संस्थाओं की इस अशांति के पीछे आरक्षण के पक्ष एवं विपक्ष में चलता हुआ विवाद है। इस सम्बन्ध में प्रशासन का जो भी राजनैतिक निर्णय हो, किन्तु इसमें हमारे छात्रों का ही प्रत्यक्ष अकल्याण हो रहा है। अतः मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से जो राष्ट्र में अभी शिक्षा के सर्वोच्च कर्णधार है, आग्रह करूंगा कि इस दिशा में वे अपना अभिक्रम प्रारम्भ करें एवं बिहार जा कर सभी राजनेताओं एवं छात्र नेताओं की एक बैठक बुला कर आरक्षण के प्रश्न को अलग रख कर शिक्षण संस्थाओं को खोलने की दिशा में विचार विमर्श कर समाधान निकालें। मुझे विश्वास है कि 90 प्रतिशत छात्र शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करना चाहते है। ऐसी स्थिति में अब दीर्घव